भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2098

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया की निर्बाध आपूर्ति

2098. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में विशेषकर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रबी और खरीफ मौसम के दौरान यूरिया, डीएपी और अन्य आवश्यक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या नीमलेपित यूरिया के उपयोग से किसानों को लाभ हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या 'नीमलेपित यूरिया' के उपयोग से यूरिया की कालाबाजारी और दुरुप्रयोग में उल्लेखनीय कमी आई है, और यदि हां, तो सूचित की गई कमी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

तथापि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख): वर्ष 2015 के दौरान, सरकार ने यूरिया के सभी घरेलू उत्पादकों और आयातकों के लिए 100% नीम लेपित यूरिया की आपूर्ति अनिवार्य कर दी थी। नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) की शुरुआत के बाद, नीम लेपन का एक प्रमुख लाभ इसका धीमी गति से अवशोषित होना है, जिससे सामान्य यूरिया की तुलना में एनसीयू की खपत कम हो जाती है। कृषि विकास और ग्रामीण परिवर्तन केंद्र (एडीआरटीसी), बेंगलुरु द्वारा जून 2017 में नीम लेपित यूरिया के प्रभाव पर तैयार की गई एक अध्ययन रिपोर्ट से पता चलता है कि एनसीयू के प्रयोग से मृदा की गुणवत्ता में सुधार, कीट और रोग नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन की लागत में कमी, सभी फसलों और उनके उप-उत्पादों की उपज में सुधार और अरहर दाल के मामले में उच्च वृद्धिशील आय हुई है, इसके बाद गन्ना, सोयाबीन, धान, जूट और मक्का की फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। मेसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट (सीएमएसडी) द्वारा तैयार की गई एक अन्य अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया है कि यूरिया के नीम लेपन से मृदा की उर्वरता में वृद्धि हुई है, फसलों का उत्पादन बढ़ा है और सामान्य यूरिया की तुलना में एनसीयू की खपत में कमी आई है।

(ग): उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है। उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए उर्वरकों की कालाबाजारी में संलिप्त किसी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एफसीओ के अंतर्गत राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

****